eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

महिलाओं तक मानवाधिकारों की अधूरी पहुँच

डॉ0 ऋचा सिंह राठौर[1], डॉ0 कुमारेन्द्र सिंह सेंगर[2]
[1]असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, वी.एस.एस.डी. कॉलेज, कानपुर
[2]असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, हिन्दी विभाग, गांधी महाविद्यालय, उरई (जालौन)

Received: 21 June 2026 Accepted & Reviewed: 25 June 2026, Published: 30 June 2026

Abstract

सामाजिक अवधारणा आज से नहीं बल्कि आरम्भिक दौर से ही स्त्री और पुरुष के आपसी समन्वय से ही क्रियान्वित होती आई है. समय के साथ–साथ भले ही सामाजिक सञ्चालन में भूमिकाओं में किंचित परिवर्तन देखने को मिले हों किन्तु सभी इंसानों के अधिकारों के लिए समाज में सक्रियता बनी रही है. मानवीय गरिमा, प्रतिष्ठा आदि को लेकर प्रतिस्थापित अधिकारों को समय–समय पर कानूनी स्वरूप दिया जाता रहा. इसी के आधार पर मानवाधिकारों का वर्तमान स्वरूप सामने आया है. मानवाधिकारों के क्रियान्वयन में स्त्री और पुरुष के रूप में किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने को प्रमुखता दी गई किन्तु कालांतर में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे महिलाओं के प्रति मानवाधिकारों को लेकर कतिपय विभेदकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं. महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अपहरण आदि ऐसी ही विकृत स्थितियाँ हैं. इनमें भी सबसे विद्रूप चेहरा यह है कि महिलाएँ इक्कीसवीं सदी में भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं. प्रस्तुत शोध–पत्र में मानवाधिकारों की स्थापना के साथ–साथ महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए उनके समाधान खोजने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– महिला मानवाधिकार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, लैंगिक भेदभाव, कानूनी अधिकार एवं न्याय, महिला सुरक्षा एवं गरिमा

Introduction

किसी भी समाज की अवधारणा स्त्री–पुरुष के आपसी सामन्जस्य पर कायम रहती है. इस व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु समाज में कुछ विधानों, अधिकारों का संचालन सामाजिक स्वीकृति के आधार पर होता है. मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो उसके मानव मात्र होने के कारण ही प्राप्त होते हैं, इसके लिए उसके किसी विशेष लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, वर्ग, भाषा आदि का होना महत्व नहीं रखता है. मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत रूप में स्वीकारे गये हैं और ये मानव के नैसर्गिक, अन्तर्निहित, मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित हैं जो समाज में मानवीय स्वतन्त्रता, गरिमा, प्रतिष्ठा आदि की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं. 'मानव अधिकार शब्द का प्रथमतः प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने सन् 1941 को कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए अपने उद्बोधन में किया था. इस उद्बोधन में उन्होंने वाक् स्वतन्त्रता, गरीबी से मुक्ति, भय से स्वतन्त्रता पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विश्व को इसी अवधारणा पर आधारित होने का प्रस्ताव रखा.'[1] 'पश्चिम से आयातित होकर आये इस शब्द में विशेष रूप से 1215 का मैग्नाकार्टा, 1628 का पैटिशन ऑफ राइट, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, 1776 का अमेरिकी घोषणापत्र, 1789 का फ्रांसीसी मानव और अधिकारपत्र आदि को मानवाधिकार के विकास हेतु देखा जा सकता है.'[2] 'संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा 68 के तहत सन् 1946 में श्रीमती

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

एलोनोर रुजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया.'[3] संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्तों का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया. '10 दिसम्बर 1948 को आयोग द्वारा तैयार मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा का मसौदा स्वीकार किया गया. इस घोषणापत्र में 30 अनुच्छेद हैं जिनमें मानव से सम्बन्धित विविध अधिकारों का उल्लेख किया गया है. इसकी प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजाति गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया.'[4]

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इस दस्तावेज को भले ही मान्यता सभी देशों ने मिलकर एक व्यापक उद्देश्य के लिए दी हो किन्तु भारतीय संविधान में पहले से ही किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकारों के स्वरूप में मानव अधिकारों की चर्चा की गई थी. 'भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित 30 में से लगभग 15 में मानव अधिकार समाहित हैं.'[5] 'भारत में मानव अधिकार आयोग विधेयक लोकसभा में 14 मई 1992 को प्रस्तुत किया गया.'[6] इसके बाद '27 सितम्बर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन को अध्यादेश जारी किया. जिस पर 8 जनवरी 1994 को एक अधिनियम बनाया गया जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया.'[7] इस सम्बन्ध में मानवाधिकार की एक सर्वमान्य परिभाषा भी प्रस्तुत की गई. इस परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों से है जो जीवन, स्वतन्त्रता, समता एवं महत्ता से सम्बन्धित हैं और संविधान द्वारा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदा द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं तथा भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

मानवाधिकारों के लागू करने का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि मानव को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होने हैं और उसके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जायेगा. मानवाधिकारों के रूप में एक महिला को भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो एक पुरुष को प्राप्त हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महिला विकास के सन्दर्भ में कहना है कि 'महिला समानता को मानव जाति की शांति, न्याय एवं समृद्धि के लिए आवश्यक माना और सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मानव जाति का अपरिहार्य भाग महिला वर्ग को पुरुष वर्ग अपने साथ नहीं लेगा, तब तक पुरुष समग्र विकास और शांति की कल्पना तक नहीं कर सकता है.'[8] इसी दृष्टिकोण के सन्दर्भ में 'भारत में राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का गठन 1992 में किया गया.'[9] इसका गठन मूल रूप से 'महिला स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सन्दर्भ में दो उद्देश्यों को लेकर किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों पर सरकार को सलाह देता है. इसकी सहायता से महिला अधिकारों से संबंधित कानून का सुदृढ़ीकरण किया गया है. 'राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में मदद की है. उसके द्वारा कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंतर्गत हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया है. आयोग की पहल पर महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन और इसकी निगरानी सुनिश्चित की गई है. इसके साथ–साथ बाल विवाह के मुद्दे पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों एवं पारिवारिक महिला लोक अदालत को प्रायोजित किया है. आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, PNDT अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा राष्ट्रीय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है ताकि इन्हें अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाया जा सके.'[10]

बावजूद इसके महिलाएँ लगातार भेदभाव का शिकार होती रहती हैं. इस भेदभाव का सबसे विकृत रूप हम कन्या भ्रूण हत्या के रूप में आज समाज में देख रहे हैं. इसके अलावा आये दिन महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अपहरण आदि ऐसी विकृत स्थितियाँ हैं जो किसी आँकड़े की मोहताज नहीं हैं. महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव का सबसे विद्रूप चेहरा यह है कि वह आज इक्कीसवीं सदी में भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है. 'घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है. भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साल 2021 में केवल 507 मामले दर्ज किये गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 0.1 फीसदी है.'[11] उसके साथ हिंसा करने वाले कोई गैर नहीं, कोई बाहरी नहीं बल्कि उसके अपने लोग हैं, उसके परिजन हैं. सामान्य अर्थों में देखें तो 'घरेलू हिंसा वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, मारपीट या पारिवारिक हिंसा अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है. अंतरंग साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है.'[12] घरेलू हिंसा शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित अनेक रूपों में हो सकती है. 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, साल 2016 में 3.38 लाख मामले, साल 2017 में 3.60 लाख मामले और साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए. वहीं साल 2021 में ये आँकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया, जिनमें से अधिकतर यानि 31.8 फीसदी पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के, 7.40 फीसदी बलात्कार के, 17.66 फीसदी अपहरण के, 20.8 फीसदी महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं.'[13]

यदि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा की तरफ ध्यान दें तो इसके कतिपय कारण नजर आते हैं. इन कारणों में सबसे ऊपर आज भी समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता का हावी होना है. समाज में जिस तरह से पुरुषों और महिलाओं के बीच जिस तरह से संसाधनों का असमान वितरण है, उसके चलते महिलाएँ एक प्रकार का विभेद सह रही हैं. संसाधनों के इस असमान वितरण में किसी संस्थान को, किसी कार्यालय को देखा जा सकता है. महिलाओं के लिए कार्य के घंटे, काम करने की दशा, वेतन की असमानता, कार्यक्षेत्र में विसंगतियाँ, महिलाओं के प्रतिकूल वातावरण आदि का होना प्रमुख है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सक्रिय रहना, कम जागरूक होना भी उनके विरुद्ध हिंसात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है. इसके अलावा चाहे परिवार हो अथवा समाज, सभी जगह लिंग विभेद स्पष्ट रूप से बना हुआ है. इसके चलते भी महिलाएँ हिंसा का शिकार हो जाती हैं।

समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के कारण देश के संविधान ने, कानून ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कानून भी बनाये हैं. इन कानूनों में कुछ महत्त्वपूर्ण कानून निम्नवत हैं–[14]

1– दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986

2– आईपीसी की धारा 494 के तहत पति या पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना दंडनीय अपराध.

3– हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है.

4– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

5– महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973

6– भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994

7– अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

8– कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये वर्कप्लेस बिल (POSH Act, 2013)

9– पॉक्सो (POCSO) अधिनियम

मानवाधिकारों की विस्तृत और व्यापक सोच के बाद भी उसके क्रियान्वयन में संकुचित भावना दिखाई देती है. महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के मामलों में अभी भी कोताही बरती जा रही है. महिलाओं के सम्बन्ध में अधिकारों की पूर्णता को तब तक नहीं स्वीकारा जा सकता है जब तक कि उसे 'पढ़ने और हँसने–खेलने का अधिकार; शिक्षा और व्यवसाय का अधिकार; जीवनसाथी के चयन का अधिकार; संपत्ति और जीवन पर हक़'[15] नहीं मिल जाता. इधर हाल के वर्षों में देखने में आया है कि मानवाधिकार आयोग ने जितनी रुचि आतंकवादियों, अत्याचारियों, हत्यारों, आपराधिक गतिविधियों के जनप्रतिनिधियों के संरक्षण और बचाव में दिखाई है उतनी किसी आम आदमी के अधिकारों की रक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं दिखाई है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण कार्यालयों में होने वाली महिला यौन उत्पीड़न की घटनाएँ हैं, सडकों पर आये दिन होते आ रहे हमले और दुर्घटनाएँ हैं, कन्या भ्रूण हत्या करने वाले क्लीनिकों का, चिकित्सकों का खुलेआम घूमना है।

व्यक्ति के जागरूक होने से ही समाज का, राष्ट्र का विकास सम्भव है. देखा जाये तो मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता व्यक्ति के और समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है. जनजागरूकता को शिक्षा माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है. शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के रूप में मानव अधिकारों को शामिल कर प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा के स्तर तक मानवाधिकारों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए. मानवाधिकारों के सशक्त, समृद्ध, स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक है कि जनमानस की छोटी से छोटी कड़ी भी अपने अधिकारों का हनन महसूस न करे. मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का बोध और इनके प्रति सकारात्मकता का भाव ही मानवाधिकारों की स्थापना की सफलता है।

सन्दर्भ -

1- लेख, मानवाधिकार : व्यापक दृष्टिकोण की संकुचित क्रियाशीलता, डॉ. कुमारेन्द्र सिंह सेंगर, पृष्ठ 23, सम्पादित पुस्तक, नई सहस्त्राब्दी में मानवाधिकार के विविध सन्दर्भ, सम्पादक-डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
2- वही, पृष्ठ 23
3- मानवाधिकार का इतिहास, एस.पी. गुप्ता, पृष्ठ 23, शारदा पुस्तक भवन, आगरा, 1998
4- वही, पृष्ठ 43
5- बी.एल. फाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृष्ठ 39, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1999
6- वही, पृष्ठ 41
7- भारत में मानवाधिकार: दशा एवं दिशा, शरद सिंह, पृष्ठ 87, अटलांटिक प्रकाशन, मेरठ, 2003

8-लेख, मानवाधिकार आयोग एवं महिला सबलीकरण, डॉ० सबीहा रहमानी, पृष्ठ 105, सम्पादित पुस्तक, नई सहस्त्राब्दी में मानवाधिकार के विविध सन्दर्भ, सम्पादक-डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010

9- वही, पृष्ठ 105

10- लेख, भारत में महिला आयोग, दृष्टि (वेबसाइट)
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/women-s-commissions-in-india

11- लेख, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: कब होगा इसका अंत? शालिनी बाजपेयी, दृष्टि (वेबसाइट)
https://www.drishtiias.com/hindi/blog/violence-against-women-when-will-it-end

12- लेख, घरेलू हिंसा, विकीपीडिया (वेबसाइट)
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%98%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%82_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%BE

13- लेख, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: कब होगा इसका अंत? शालिनी बाजपेयी, दृष्टि (वेबसाइट)
https://www.drishtiias.com/hindi/blog/violence-against-women-when-will-it-end

14- वही

15- बेटियाँ: अजन्मी, अवांछित, एम. पी. कमल, पृष्ठ 169-175, कीर्तिमान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005